<u>मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड</u>
<u>CIN: U01114MP2017PTC043970</u>
<u>पंजीकृत कार्यालय: ओल्ड ए.बी. रोड, तलवाड़ा, चंपापुरा, ब्यावरा, राजगढ़, म.प्र.–465674</u>
<u>ईमेल: info@maalavmilk.com ; टेलीफ़ोन: 8057900900</u>

<u>सूचना</u>

सूचना दी जाती है कि मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 9वीं वार्षिक आम सभा **सोमवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2025 को दोपहर 12:00 बजे होटल ला ओम पैलेस, ब्यावरा, राजगढ़, मध्य प्रदेश – 465674** में आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार एवं निर्णय लिया जाएगा:

<u>साधारण व्यवसाय:</u>

1. **31 मार्च 2025 तक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, को अनुसूचियां और नोट्स के साथ प्राप्त करना और अपनाना तथा उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अपनाना और इस संबंध में सामान्य संकल्प को पारित करना:**

   "यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2025 तक की ऑडिटेड तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियां और नोट्स के साथ और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ अपनाया जाता है।"

2. **वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषणा करना तथा इस संबंध में सामान्य संकल्प को पारित करना:**

   "यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के अर्जित लाभ में से ₹8 प्रति इक्विटी शेयर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) रुपये 100 प्रति शेयर के 377039 पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों पर वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 30,16,312 रुपये को अवशोषित करते हुए अनुमोदित और पुष्टि की जाती है, और यह उन इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किया जाए, जिनके नाम 31 मार्च, 2025 तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है।"

3. **श्रीमती रामश्री शर्मा (DIN: 07893820) जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति हो रही हैं और पुन: नियुक्ति के लिए अयोग्य है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:**

   "यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 एवं धारा 378ZA की व्यवस्थाओं के अनुरूप, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 9.6 एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत श्रीमती रामश्री शर्मा (DIN: 07893820), निदेशक, जो कि इस वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त हो रही है, तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, और इस वार्षिक आम सभा की समाप्ति पर निदेशक के पद से सेवानिवृत्त मानी जाएगी और परिणामी स्थान रिक्त रहेगा।"

4. **श्रीमती नीलम नागर (DIN: 08806718), जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति हो रही हैं और पुन: नियुक्ति के लिए अयोग्य है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:**

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 एवं धारा 378ZA की व्यवस्थाओं के अनुरूप, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 9.6 एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत श्रीमती नीलम नागर (DIN: 08806718), निदेशक, जो कि इस वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त हो रही हैं, तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, और इस वार्षिक आम सभा कि समाप्ति पर निदेशक के पद से सेवानिवृत्त मानी जाएगी और परिणामी स्थान रिक्त रहेगा।"

5. **श्रीमती रीना दांगी (DIN: 09705962) की पुनर्नियुक्ति पर विचार करने के लिए, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं, इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या उसके बिना साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 एवं धारा 378ZA की व्यवस्थाओं के अनुरूप, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 9.6 एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत कंपनी की निदेशक श्रीमती रीना दांगी (DIN: 09705962), जो कंपनी की वार्षिक आम सभा में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाली है और पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती हैं, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है।

<u>विशेष व्यवसाय:</u>

6. **श्रीमती पूजा गोस्वामी (DIN: 11295000) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति करने पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या उसके बिना साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती पूजा गोस्वामी (DIN:11295000) जिन्हें डीआईएन के आवंटन से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की तारीख तक पद पर हैं, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनके कार्यकाल की अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और अनिवार्य कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

7. **श्रीमती पूनम यादव (DIN: 11295198) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति करने पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या उसके बिना साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती पूनम यादव (DIN: 11295198) जिन्हें डीआईएन के आवंटन से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की तारीख तक पद पर हैं, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनके कार्यकाल की अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और अनिवार्य कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

8. **श्रीमती रेखा लोधा (DIN: 11294982) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति करने पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या उसके बिना साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती रेखा लोधा (DIN: 11294982) जिन्हें डीआईएन के आवंटन से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की तारीख तक पद पर हैं, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनके कार्यकाल की अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और अनिवार्य कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

9. **विभिन्न वर्गों में सदस्यों को संरक्षकता के आधार पर वर्गीकृत करने के मापदण्डों पर विचार और अनुमोदन करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना:**

यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 27 अक्टूबर, 2017 को आयोजित प्रथम वार्षिक आम सभा में पारित संकल्प (संकल्प संख्या 8) के स्थान पर, कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार, सदस्यों की व्यवसाय में भागीदारी (अर्थात प्रयोजन) के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के मापदण्ड, जैसा कि निर्देशक मंडल द्वारा अनुशासित किया गया है , यहाँ पर दिए गए है और इसे अनुमोदित और अपनाया जाता है:

मापदंड	**क्लास A**	**क्लास B**	**क्लास C**
एक वर्ष में एमपीसी को आपूर्ति किए गए दूध के दिनों की संख्या	>=300	>=270	>=200
एमपीसी को आपूर्ति की जाने वाली वार्षिक दूध मात्रा (लीटर में)	>=7000	>=2500	>=500

फ्लश (अर्थात् नवंबर से फरवरी) और लीन (अर्थात् अप्रैल से जुलाई) दूध आपूर्ति अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होना चाहिए	फ्लश टू लीन अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होगा	फ्लश टू लीन अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होगा	फ्लश टू लीन अनुपात 3:1 से अधिक नहीं होगा
₹100 प्रति शेयर मूल्य के अनुसार न्यूनतम कंपनी शेयर	70 शेयर	25 शेयर	5 शेयर

* नोट -

a) वास्तविक अंशदान या आपूर्ति की गई वास्तविक दूध मात्रा, जो भी कम हो, उसे वर्ग के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

b) प्रयोजन की गणना के लिए, निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएगी:

i. जिन सदस्यों को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान शामिल किया गया है और जिन्होंने अभी तक अपनी सदस्यता के 365 दिन पूरे नहीं किए हैं, लेकिन न्यूनतम आवश्यक शेयर पूंजी जमा कर दी है, उन्हें उस वर्ग से संबंधित माना जाएगा।

ii. कोई भी सदस्य जो वर्ग A या वर्ग B के मापदण्डों को पूरा नहीं करता है, उसे उस उपयुक्त निम्न वर्ग में स्थानांतरित किया जा सकता है जिसके लिए वह मापदण्ड पूरा करता है। हालाँकि, वे उस वर्ष निदेशक मंडल के पद के लिए चुनाव लड़ने के पात्र नहीं होंगे।

iii. जो सदस्य कम से कम 'क्लास सी' बने रहने के लिए आवश्यक मापदण्डों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 8 के साथ अनुच्छेद 4.3 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि, यदि बोर्ड उन्हें सदस्यता जारी रखने कि अनुमति देता है, तो ऐसे सदस्य बिना किसी श्रेणी के सदस्य माने जायेंगे।

स्वीकृत और अंगीकृत किए जाते है तथा वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी माने जायेंगे।"

10. निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदन की जांच करने के लिए नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधन सहित या उसके बिना **साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना** :

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम के भाग XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I और धारा 14 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, जिनमें इसके अंतर्गत बनाए गए नियम भी शामिल है, के अनुसरण में नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों को अपनाने और अनुमोदन के लिए कंपनी के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार हे:

(i) मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर एक "नामांकन समिति" (एनसी) का गठन करेगा, जो बोर्ड को 'कंपनी के बोर्ड में रिक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक पद के लिए संभावित उम्मीदवार' का सुझाव देगा।

(ii) बोर्ड में उत्पादक निदेशकों (वर्ग A, B, C) के रिक्त पदों की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने हेतु सुचना कंपनी के सुचना-पटट, कंपनी के वेबसाइट (यदि हो), या सम्बंधित वर्ग के सभी सदस्यों को साधारण डाक द्वारा परिपत्र/ ईमेल भेजकर दी जाएगी।

(iii) बोर्ड एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका पालन 'नामांकन समिति' द्वारा अनुच्छेद के तहत संभावित सदस्यों की पहचान के लिए किया जाएगा, जैसा कि उपविधियों में उल्लेखित है।

(iv) "नामांकन समिति" द्वारा पात्र आवेदकों के लिए निम्न मापदण्डों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे:

आवेदक के पात्रता के लिए मापदण्ड	**अधिकतम अंक**
विगत दो वित्तीय वर्षो में कंपनी को दूध आपूर्ति के दिवसों की संख्या: • यदि 95% या उससे अधिक है - 30 अंक मिलेंगे • यदि 85% से अधिक लेकिन 95% से कम है - 20 अंक मिलेंगे • यदि 75% से अधिक लेकिन 85% से कम है - 15 अंक मिलेंगे • यदि 65% से अधिक लेकिन 75% से कम है - 10 अंक मिलेंगे • यदि 55% से अधिक लेकिन 55% से कम है - 05 अंक मिलेंगे • यदि 55% से कम है - कोई अंक नहीं मिलेंगे	30
अवधि के दौरान कंपनी को संपूर्ण अधिशेष की आपूर्ति करना (अर्थात, किसी अन्य प्रतिस्पर्धी/ऑपरेटर को दूध की आपूर्ति नहीं की गई है) - स्व-घोषणा और कंपनी द्वारा बाद में सत्यापन के आधार पर।	5
पिछले 5 वर्षो से सदस्य वर्ग (A, B, C) में से किसी एक को बनाए रखना (प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक)	30
आवेदक कि शैक्षणिक योग्यता (जो न्यूनतम आवश्यक योग्यता से अधिक हो) - यदि 12वी पास है तो 5 अंक, स्नातक (Graduate) होने पर 10 अंक और परास्नातक (Post Graduate) होने पर 15 अंक मिलेंगे। न्यूनतम योग्यता कंपनी के अनुच्छेदो (Articles of Association) के अनुसार होनी चाहिए।	15
प्रशिक्षण में भाग लिया- सदस्य प्रशिक्षण (5 अंक); वीसीजी/एमआरजी प्रशिक्षण (5 अंक); एलडीपी (नेतृत्व विकास कार्यक्रम)/निदेशक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम (10 अंक);	20
कुल अंक	**100**

(v) बोर्ड द्वारा गठित नामांकन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: -

1. जिस सदस्यता वर्ग के लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है, उसमें से बोर्ड में एक उत्पादक -सदस्य निदेशक, बशर्ते कि वह उत्पादक -सदस्य निदेशक आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त न हो रहा हो। यदि एक से अधिक उत्पादक -सदस्य पात्र हो, तो सदस्य का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, यदि उस वर्ग से कोई उत्पादक -सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो किसी अन्य उत्पादक -सदस्य निदेशक का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा;
2. एक विशेषज्ञ निदेशक जो कंपनी के बोर्ड में है; और
3. किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या संस्था से एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए काफी काम किया हो।

कंपनी का कंपनी सचिव 'नामांकन समिति' की सहायता करेगा तथा नामांकन समिति की सभा के कार्यवृत्त सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

(vi) 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की प्रथम सभा की तिथि से लेकर कंपनी के बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजने की तिथि तक होगा।

(vii) बोर्ड ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए 'नामांकन समिति' द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कदम उठाने और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक समझे और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करे।

11. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर संशोधन सहित या उसके बिना साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करना और उसे अनुमोदित करना:

"**यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि** 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

12. कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन में अल्टरेशन के द्वारा कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना

"**यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378H तथा उसके अंतर्गत लागू अन्य सभी प्रावधानों (समय-समय पर लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमित स्वरूप सहित) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी ₹5,00,00,000/- (रुपये पाँच करोड़ मात्र) जो 5,00,000 (पाँच लाख) इक्विटी शेयर, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹100 (रुपये एक सौ मात्र) में विभाजित

है, को बढ़ाकर ₹10,00,00,000/- (रुपये दस करोड़ मात्र) किया जाए, जो 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयर, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹100 (रुपये एक सौ मात्र) में विभाजित होगी।

यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन के विद्यमान क्लॉज़ VI – 'शेयर पूंजी' को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:

"कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी ₹10,00,00,000/- (रुपये दस करोड़ मात्र) होगी, जो 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयर, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹100 (रुपये एक सौ मात्र) में विभाजित होगी।"

यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी (Chief Executive) अथवा कंपनी सचिव (Company Secretary) को इस प्रस्ताव के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक प्रपत्रों को कंपनी रजिस्ट्रार के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित/दाख़िल करने और सभी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पृथक-पृथक रूप से अधिकृत किया जाता है।"

13. कंपनी के संस्था के अंतर्नियम में परिवर्तनों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना तथा यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतु:

"**यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम के भाग XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I और धारा 14 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, जिनमें इसके अंतर्गत बनाए गए नियम भी शामिल हैं, के अनुसरण में, कंपनी के मौजूदा संस्था के अंतर्नियम में निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित सीमा तक परिवर्तन करने के लिए कंपनी के शेयरधारकों की सहमति प्राप्त की जाती है और एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:

मौजूदा अनुच्छेद 2.1 xi और xix को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाए;

- 'सदस्य' का तात्पर्य किसी व्यक्तिगत महिला उत्पादक या उत्पादक संस्था (चाहे निगमित हो या नहीं) से है जिसे कंपनी के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया हो।
- "उत्पादक संस्था" से तात्पर्य ऐसी उत्पादक कंपनी या कोई अन्य संस्था से है जिसके सदस्य केवल उत्पादक या उत्पादक हों या उत्पादक कंपनी या उत्पादक कंपनियां हों, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका धारा 378B में निर्दिष्ट कोई भी उद्देश्य हो और जो अपने अनुच्छेदों में दिए गए अनुसार उत्पादक कंपनी या उत्पादक कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए सहमत हो;

मौजूदा अनुच्छेद 4 को इस प्रकार परिवर्तित किया जाए;

- **<u>अनुच्छेद 4.1:</u> सदस्यता**
  कंपनी में बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार व्यक्तिगत महिला उत्पादक या उत्पादक संस्थान या दोनों का संयोजन सदस्य हो सकता है।

- **<u>अनुच्छेद 4.2:</u> सदस्यता प्राप्त करने के लिए योग्यताएं और प्रक्रिया**

i. एक व्यक्तिगत महिला उत्पादक जो अपने स्वामित्व वाले दुधारू पशुओं से दूध उत्पादन में लगी हो और गाय/भैंसों की देखभाल और प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार हो, या एक उत्पादक संस्था जो अपने सदस्यों के दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त करने में लगी हो, कंपनी की सदस्यता के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगी। व्यक्तिगत सदस्यता के लिए, प्रत्येक परिवार से केवल एक उत्पादक ही सदस्यता ले सकेगा।

ii. कोई भी महिला उत्पादक या उत्पादक संस्था कंपनी को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेगी तथा लिखित रूप में कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों के प्रावधानों का पालन करने का वचन देगी।

इसके अतिरिक्त, वह महिला / उत्पादक संस्थान गैर-वापसीयोग्य प्रवेश शुल्क का भुगतान करेगा, कंपनी के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेगा तथा समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करेगा।

iii. कोई भी व्यक्ति/उत्पादक संस्थान कंपनी का सदस्य नहीं बनेगा यदि:

a) उसका/उत्पादक संस्थान का कोई ऐसा व्यावसायिक हित है जो कंपनी के व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा में है, या

b) वह कंपनी में सीधे तौर पर या किसी ठेकेदार के माध्यम से या कंपनी के साथ संविदात्मक आधार पर वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के दो वित्तीय वर्षों में से किसी में या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम लगातार छह महीने तक कार्यरत रही हो। जिसमें उसे नामांकित करने का प्रस्ताव है।

iv. ऐसी व्यक्तिगत महिला उत्पादक/ उत्पादक संस्था निदेशक मंडल द्वारा सदस्य के रूप में उनके प्रवेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करने के बाद सदस्य बन जाएगी।

- **<u>अनुच्छेद 4. 4: सदस्य के मतदान अधिकार</u>**

प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट का अधिकार होगा, बशर्ते कि व्यक्तिगत सदस्य ने एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक कुल मिलाकर कम से कम 500 लीटर दूध डाला हो तथा उत्पादक संस्थान के सदस्य ने एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 36,500 लीटर दूध डाला हो।

मौजूदा अनुच्छेद 9.5 को परिवर्तित करके निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा;

बोर्ड में सदस्यों के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों की संख्या, जहाँ तक संभव हो, संबंधित वर्ग के संरक्षण पर आधारित होगी। हालाँकि, कंपनी की 9वीं वार्षिक आम सभा के समापन से प्रभावी होगी।

मौजूदा अनुच्छेद 9.6 ii को परिवर्तित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए;

वार्षिक आम सभा में बोर्ड में भरी जाने वाली कोई भी रिक्ति बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की सिफारिश पर आधारित होगी। यह प्रावधान कंपनी की 9वीं वार्षिक आम सभा के समापन से प्रभावी होगी।

मौजूदा अनुच्छेद 9.7 को संशोधित कर निम्न प्रकार पढ़ा जाए:

" बोर्ड में रिक्त पद को भरने के लिए या अन्यथा, बोर्ड आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए अतिरिक्त निदेशक या निदेशक को सहयोजित कर सकता है, बशर्ते कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए पहचाने गए सदस्य ने कम से कम दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मापदण्डों को पूरा किया हो और इस प्रकार नियुक्त अतिरिक्त निदेशक या निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक आम सभा तक या कम अवधि के लिए पद धारण करेंगे यदि बोर्ड नियुक्ति के समय ऐसा निर्णय लेता है। हालांकि, ऐसे व्यक्ति को बाद के दो वर्षों में बोर्ड में रिक्त पद को भरने के लिए सहयोजित नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, 'कम से कम दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मापदण्ड की आवश्यकता कंपनी की 9वीं वार्षिक आम सभा के समापन से प्रभावी होगी।

यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि उपरोक्त परिवर्तनों से पूर्व कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्यवाही एवं कर्म अनुमोदित किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि यह सभी पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं का स्थान ले लेगा।

यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

14. **एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली शीर्ष सहकारी समिति की शेयर पूंजी पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:**

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के ज्ञापन एवं नियमावली के अनुच्छेद के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों / वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन सामान्य आरक्षित निधि के 30% की सीमा तक बहु-राज्य सहकारी समिति के शेयरों की सदस्यता लेने और एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए प्रदान किया जाता है।

यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी को इस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने और अपेक्षित दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए पृथक रूप से अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

दिनांक: 08.09.2025 — रविन्द्र सिंह

स्थान: ब्यावरा — मुख्य कार्यकारी और निदेशक

नोट्स

1. वार्षिक आम सभा (एजीएम) में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य, स्वयं के स्थान पर, हाथ उठाकर मतदान करने तथा मतदान के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और **प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना चाहिए। गैर-सदस्य को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता** । प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले दस्तावेज को प्रभावी बनाने के लिए, उसे सभा के **निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले विधिवत रूप से पूर्ण, स्टाम्पयुक्त और हस्ताक्षरित करके कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा** । इसके साथ एक रिक्त प्रॉक्सी प्रपत्र संलग्न है।

2. प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही वोट देने का अधिकार होगा (हाथ उठाकर मतदान के माध्यम से) चाहे कंपनी में उसकी शेयरधारिता या संरक्षण कुछ भी हो।

3. इस नोटिस के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:

i. निदेशक के पद के लिए चुनाव हेतु उम्मीदवारों के नाम, जिनमें प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में योग्यता का विवरण शामिल है।

ii. 20 सितम्बर, 2024 को आयोजित पिछली वार्षिक आम सभा के कार्यवृत्त प्रतिलिपि।

iii. 31 मार्च , 2025 तक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट एवं लाभ और हानि खाता तथा निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।

iv. वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट भी संलग्न है।

4. कंपनी के खातों या संचालन के बारे में जानकारी चाहने वाले या कोई प्रश्न पूछने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभा की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को जानकारी भेज दें।

5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपना फोलियो नंबर और सदस्य कोड अवश्य उल्लेख करें।

6. संलग्न नोटिस के मद संख्या 6,7,8,10,12,13 और 14 के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

7. संलग्न नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए सभी कार्य दिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों (11:00 बजे से 16:00 बजे के बीच) के दौरान खुले रहेंगे।

8. बोर्ड द्वारा अनुशंसित सीमित रिटर्न (लाभांश), यदि बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च 2025 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दिखाई देते हैं।

9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में किसी भी परिवर्तन के बारे में तुरंत कंपनी को पिन कोड और मोबाइल नंबर सहित सूचित करें।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205A/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार, घोषणा की तिथि से सात वर्षों के भीतर जमा/दावा न किए गए लाभांश को

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उक्त राशि IEPF में स्थानांतरित होने के बाद, इस संबंध में IEPF या कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी पहचान के लिए एजीएम स्थल पर कंपनी द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र साथ लाएं।

12. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, धारदार उपकरण आदि ले जाना प्रतिबंधित है।

13. वार्षिक आम सभा के आयोजन स्थल तक आसानी से पहुंचने के लिए प्रमुख स्थलों के साथ मार्ग मानचित्र वार्षिक आम सभा की सूचना के साथ संलग्न किया गया है।

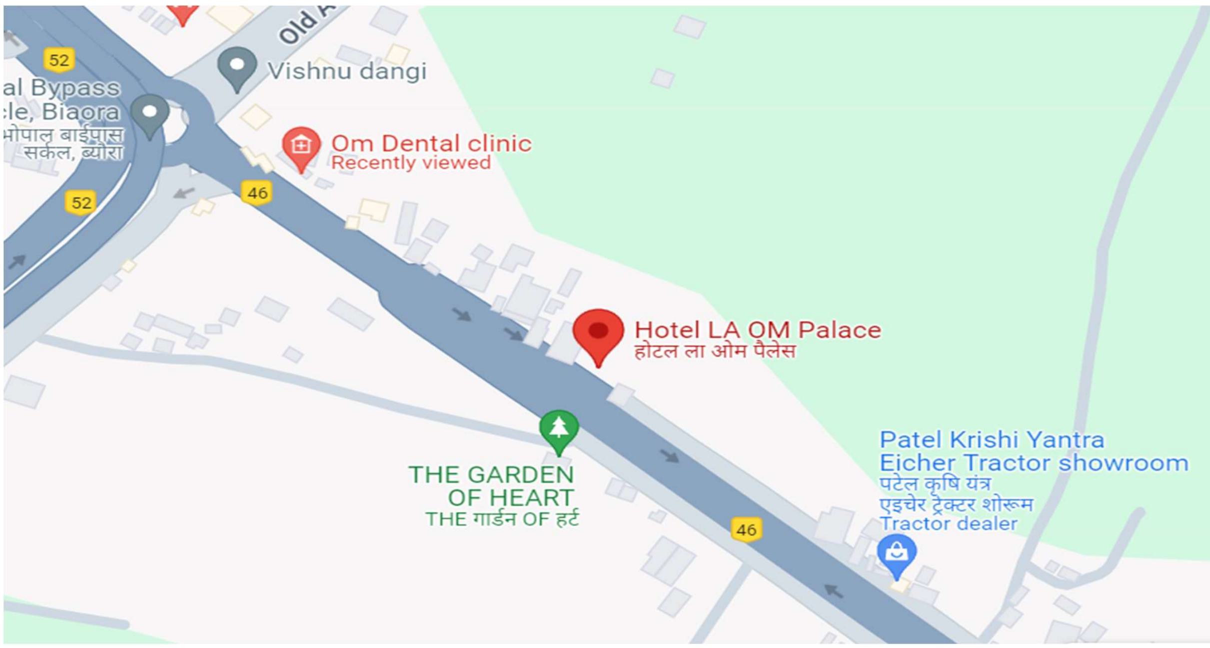

निदेशक मंडल के आदेश से

दिनांक: 08.09.2025
स्थान: ब्यावरा

रविन्द्र सिंह
मुख्य कार्यकारी और निदेशक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA (4) (C) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता का विवरण

नाम	**पेशा**	**योग्यता**
श्रीमती पूजा गोस्वामी	पशुपालन	ग्रेजुएशन
श्रीमती पूनम यादव	पशुपालन	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा
श्रीमती रेखा लोधा	पशुपालन	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

निदेशक मंडल के आदेश से

दिनांक: 08.09.2025 रविन्द्र सिंह
स्थान: ब्यावरा मुख्य कार्यकारी और निदेशक

व्याख्यात्मक विवरण

एजेंडा क्रमांक 6

निर्देशक मंडल का मत है कि श्रीमती पूजा गोस्वामी (DIN: 11295000) कि नियुक्ति निर्देशक के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। निर्देशक मंडल का मानना है कि श्रीमती पूजा गोस्वामी (DIN: 11295000) की नियुक्ति कंपनी के लिए लाभकारी होगी। अतः निर्देशक मंडल प्रस्ताव संख्या 6 को सदस्यों कि स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता है।

श्रीमती पूजा गोस्वामी को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी/उनके रिश्तेदार का उक्त प्रस्ताव से किसी भी तरह से कोई संबंध या हित नहीं है। बोर्ड इस प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में अपनाने की अनुशंसा करता है।

एजेंडा क्रमांक 7

निर्देशक मंडल का मत है कि श्रीमती पूनम यादव (DIN: 11295198) कि नियुक्ति निर्देशक के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। निर्देशक मंडल का मानना है कि श्रीमती पूनम यादव (DIN: 11295198) की नियुक्ति कंपनी के लिए लाभकारी होगी। अतः निर्देशक मंडल प्रस्ताव संख्या 7 को सदस्यों कि स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता है।

श्रीमती पूनम यादव को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी/उनके रिश्तेदार का उक्त प्रस्ताव से किसी भी तरह से कोई संबंध या हित नहीं है। बोर्ड इस प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में अपनाने की अनुशंसा करता है।

एजेंडा क्रमांक 8

निर्देशक मंडल का मत है कि श्रीमती रेखा लोधा (DIN: 11294982) कि नियुक्ति निर्देशक के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। निर्देशक मंडल का मानना है कि श्रीमती रेखा लोधा (DIN: 11294982) की नियुक्ति कंपनी के लिए लाभकारी होगी। अतः निर्देशक मंडल प्रस्ताव संख्या 8 को सदस्यों कि स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता है।

श्रीमती रेखा लोधा को छोड़कर, कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी/उनके रिश्तेदार का उक्त प्रस्ताव से किसी भी तरह से कोई संबंध या हित नहीं है। बोर्ड इस प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में अपनाने की अनुशंसा करता है।

एजेंडा क्रमांक 10

कंपनी के उपविधियों कि धारा 9.6; 9.18 ii.k.; और 11.11 vii के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड में सदस्यों के वर्ग का प्रतिनिधित्व, निदेशकों का चुनाव, निदेशकों के पद के लिए सिफारिश आदि के लिए, बोर्ड द्वारा एक "नामांकन समिति" (NC) का होना आवश्यक है।

इसके अलावा, कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.11 की आवश्यकता के अनुसार, "नामांकन समिति" के गठन के लिए दिशानिर्देशों को कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम सभा में पारित एक साधारण प्रस्ताव द्वारा सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

बोर्ड द्वारा "नामांकन समिति" (NC) के गठन के लिए सदस्यों का अनुमोदन, एनसी के गठन के लिए दिशानिर्देशों का अनुमोदन और निदेशक पद के नामांकन के लिए मापदण्ड तैयार करना।

इसलिए, यह आवश्यक और उचित है कि निदेशक पद के लिए पात्रता मापदण्ड सहित "नामांकन समिति" के गठन के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश बनाए जाएं, जैसा कि नामांकन समिति के साधारण प्रस्ताव के प्रारूप में वर्णित है और आने वाले समय के लिए बोर्ड को पात्र सदस्यों की सिफारिश की जाए।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनका कोई भी रिश्तेदार किसी भी तरह से इस समाधान में रुचि या सरोकार नहीं रखता है।

<u>एजेंडा क्रमांक 12</u>

वर्तमान में, कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी, मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन के क्लॉज़ VI में उल्लिखित अनुसार, ₹5,00,00,000/- (रुपये पाँच करोड़ मात्र) है, जो 5,00,000 (पाँच लाख) इक्विटी शेयर, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹100 (रुपये एक सौ मात्र) में विभाजित है।

यह उपयुक्त समझा गया है कि कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी को ₹5,00,00,000/- (रुपये पाँच करोड़ मात्र) जो 5,00,000 (पाँच लाख) इक्विटी शेयर, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹100 (रुपये एक सौ मात्र) में विभाजित है, से बढ़ाकर ₹10,00,00,000/- (रुपये दस करोड़ मात्र) किया जाए, जो 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयर, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹100 (रुपये एक सौ मात्र) में विभाजित होगी, और इस उद्देश्य हेतु मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन में प्रस्तावित प्रस्तावानुसार उपयुक्त संशोधन किया जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लिए आवश्यक है कि अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि तथा मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन के पूंजी क्लॉज़ में संशोधन हेतु सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त की जाए।

कंपनी के किसी भी निदेशक या उनके किसी भी रिश्तेदार का इस प्रस्ताव में कोई हित या संलिप्तता नहीं है।

निदेशक मंडल उक्त प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव (Ordinary Resolution) के रूप में सदस्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता है।

<u>एजेंडा क्रमांक 13</u>

27 अक्टूबर, 2017 को आयोजित प्रथम वार्षिक आम सभा में कंपनी के अनुच्छेदो का संज्ञान लिया गया था। कंपनी के अंतर्नियम के लेखों में वर्तमान में परिभाषाओं, सदस्यता, सदस्यों के मताधिकार, बोर्ड की संरचना, रिक्तियों को भरने और संबंधित मामलों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 (विशेष रूप से उत्पादक कंपनियों से संबंधित भाग XXI-A) के प्रावधानों के साथ अधिक स्पष्टता और संरेखण लाने के लिए, और कंपनी की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अंतर्नियम के कुछ लेखों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

<u>अनुच्छेद 2.1 xi और xix में परिवर्तन</u>

उप-अनुच्छेद 2.1 xi के अनुसार, "सदस्य" का अर्थ कंपनी की सदस्य के रूप में स्वीकृत एक व्यक्तिगत महिला उत्पादक है। अन्य संस्थाओं को कंपनी के सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए, कंपनी के संस्था-नियमों में विद्यमान अनुच्छेद 2.1 xi में परिवर्तन करके 2.1 xix को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

मौजूदा अनुच्छेद 2.1 xi और xix को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाए;

- 'सदस्य' का तात्पर्य किसी व्यक्तिगत महिला उत्पादक या उत्पादक संस्था (चाहे निगमित हो या नहीं) से है जिसे कंपनी के सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया हो।
- "उत्पादक संस्था" से तात्पर्य ऐसी उत्पादक कंपनी या कोई अन्य संस्था से है जिसके सदस्य केवल उत्पादक या उत्पादक हों या उत्पादक कंपनी या उत्पादक कंपनियां हों, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका धारा 378बी में निर्दिष्ट कोई भी उद्देश्य हो और जो अपने अनुच्छेदों में दिए गए अनुसार उत्पादक कंपनी या उत्पादक कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए सहमत हो;

<u>अनुच्छेद 4 में परिवर्तन</u>

<u>उप अनुच्छेद 4.1 के अनुसार सदस्यता</u>

कंपनी में व्यक्तिगत महिला उत्पादक सदस्य हो सकती हैं।

<u>उप अनुच्छेद 4.2 के अनुसार सदस्यता प्राप्त करने के लिए योग्यताएं और प्रक्रिया</u> :

i. एक महिला उत्पादक जो अपने स्वामित्व वाले दुधारू पशुओं से दूध उत्पादन में संलग्न है और गाय/भैंसों की देखभाल और प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार है, वह कंपनी की सदस्यता के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगी। सदस्यता प्रत्येक परिवार से केवल एक उत्पादक तक सीमित होगी।

ii. कंपनी की सदस्य बनने की इच्छुक महिला उत्पादक को कंपनी को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा तथा कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों के प्रावधानों का पालन करने का लिखित में वचन देना होगा।

   इसके अलावा, वह गैर-वापसी योग्य प्रवेश शुल्क का भुगतान करेगा, कंपनी के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेगा और समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करेगा।

iii. कोई भी व्यक्ति जिसका कोई व्यावसायिक हित कंपनी के व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा में हो, कंपनी का सदस्य नहीं बनेगा।

iv. ऐसी व्यक्तिगत महिला उत्पादक, निदेशक मंडल द्वारा सदस्य के रूप में उनके प्रवेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करने के बाद सदस्य बन जाएगी।

उप अनुच्छेद 4.4 के अनुसार सदस्य के मताधिकार:

प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट का अधिकार होगा, बशर्ते कि सदस्य ने एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक कुल मिलाकर कम से कम 500 लीटर दूध डाला हो। हालाँकि, कंपनी की पहली वार्षिक आम सभा में, सभी सदस्यों को एक ही वोट का अधिकार होगा।

मौजूदा अनुच्छेद 4 को इस प्रकार परिवर्तित किया जाए;

❖ **अनुच्छेद 4.1: सदस्यता**
कंपनी में बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार व्यक्तिगत महिला उत्पादक या उत्पादक संस्थान या दोनों का संयोजन सदस्य हो सकता है।

❖ **अनुच्छेद 4.2: सदस्यता प्राप्त करने के लिए योग्यताएं और प्रक्रिया**

i. एक व्यक्तिगत महिला उत्पादक जो अपने स्वामित्व वाले दुधारू पशुओं से दूध उत्पादन में लगी हो और गाय/भैंसों की देखभाल और प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार हो, या एक उत्पादक संस्था जो अपने सदस्यों के दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त करने में लगी हो, कंपनी की सदस्यता के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगी। व्यक्तिगत सदस्यता के लिए, प्रत्येक परिवार से केवल एक उत्पादक ही सदस्यता ले सकेगा।

ii. कोई भी महिला उत्पादक या उत्पादक संस्था कंपनी को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेगी तथा लिखित रूप में कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों के प्रावधानों का पालन करने का वचन देगी।

इसके अतिरिक्त, वह महिला / उत्पादक संस्थान गैर-वापसीयोग्य प्रवेश शुल्क का भुगतान करेगा, कंपनी के इक्विटी शेयरों की सदस्यता लेगा तथा समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करेगा।

iii. कोई भी व्यक्ति /उत्पादक संस्थान कंपनी का सदस्य नहीं बनेगा यदि:

a) उसका/उत्पादक संस्थान का कोई ऐसा व्यावसायिक हित है जो कंपनी के व्यवसाय के साथ संघर्ष में है, या
b) वह कंपनी में सीधे तौर पर या किसी ठेकेदार के माध्यम से या कंपनी के साथ संविदात्मक आधार पर वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के दो वित्तीय वर्षों में से किसी में या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम लगातार छह महीने तक कार्यरत रही हो। जिसमें उसे नामांकित करने का प्रस्ताव है।

iv. ऐसी व्यक्तिगत महिला उत्पादक/ उत्पादक संस्था निदेशक मंडल द्वारा सदस्य के रूप में उनके प्रवेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करने के बाद सदस्य बन जाएगी।

❖ **<u>अनुच्छेद 4.4: सदस्य के मतदान अधिकार</u>**

प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट का अधिकार होगा, बशर्ते कि व्यक्तिगत सदस्य ने एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक कुल मिलाकर कम से कम 500 लीटर दूध डाला हो तथा उत्पादक संस्थान के सदस्य ने एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 36,500 लीटर दूध डाला हो।

<u>अनुच्छेद 9 में परिवर्तन</u>

<u>अनुच्छेद 9.5 (i) में परिवर्तन</u>

उप-अनुच्छेद 9.5 (i) के अनुसार, "बोर्ड में सदस्यों के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों की संख्या, जहाँ तक संभव हो, संबंधित वर्ग के संरक्षण पर आधारित होगी। हालाँकि, कंपनी की 10 वीं वार्षिक आम सभा तक इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।" इसे देखते हुए, कंपनी के अंतर्नियम के नियमों के मौजूदा अनुच्छेद 9.5 (i) में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित है: -

<u>मौजूदा अनुच्छेद 9.5 को परिवर्तित करके निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा;</u>

बोर्ड में सदस्यों के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों की संख्या, जहाँ तक संभव हो, संबंधित वर्ग के संरक्षण पर आधारित होगी। हालाँकि, कंपनी की 9वीं वार्षिक आम सभा के समापन से प्रभावी होगी।

<u>अनुच्छेद 9.6 (ii) में परिवर्तन</u>

उप-अनुच्छेद 9.6 (ii) के अनुसार, " अनुच्छेद 9.6 (i) के अनुसार बोर्ड में रिक्त पद बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की सिफारिश के आधार पर भरा जाएगा। हालाँकि, यह प्रावधान कंपनी की 10वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) के बाद लागू होगा और उस समय तक रिक्त पद कंपनी के बोर्ड की सिफारिश के आधार पर भरा जाएगा।"

<u>मौजूदा अनुच्छेद 9.6 ii को परिवर्तित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए;</u>

वार्षिक आम सभा में बोर्ड में भरी जाने वाली कोई भी रिक्ति बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की सिफारिश पर आधारित होगी। यह प्रावधान कंपनी की 9वीं वार्षिक आम सभा के समापन से प्रभावी होगी।

<u>अनुच्छेद 9.7 में परिवर्तन</u>

उप अनुच्छेद 9.7 के अनुसार, "बोर्ड में रिक्त पद को भरने के लिए या अन्यथा, बोर्ड आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए अतिरिक्त निदेशक या निदेशक को सहयोजित कर सकता है, बशर्ते कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए पहचाने गए सदस्य ने कम से कम दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मापदण्डों को पूरा किया हो और इस प्रकार नियुक्त अतिरिक्त निदेशक या निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक आम सभा तक या

कम अवधि के लिए पद धारण करेंगे यदि बोर्ड नियुक्ति के समय ऐसा निर्णय लेता है। हालांकि, ऐसे व्यक्ति को बाद के दो वर्षों में बोर्ड में रिक्त पद को भरने के लिए सहयोजित नहीं किया जा सकता है।

कंपनी की 10वीं वार्षिक आम सभा के समापन से प्रभावी होगी ।

मौजूदा अनुच्छेद 9.7 को संशोधित कर निम्न प्रकार पढ़ा जाए;

"बोर्ड में रिक्त पद को भरने के लिए या अन्यथा, बोर्ड आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए अतिरिक्त निदेशक या निदेशक को सहयोजित कर सकता है, बशर्ते कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए पहचाने गए सदस्य ने कम से कम दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मापदण्डों को पूरा किया हो और इस प्रकार नियुक्त अतिरिक्त निदेशक या निदेशक कंपनी की अगली वार्षिक आम सभा तक या कम अवधि के लिए पद धारण करेंगे यदि बोर्ड नियुक्ति के समय ऐसा निर्णय लेता है। हालांकि, ऐसे व्यक्ति को बाद के दो वर्षों में बोर्ड में रिक्त पद को भरने के लिए सहयोजित नहीं किया जा सकता है।

कंपनी की 9वीं वार्षिक आम सभा के समापन से प्रभावी होगी ।

8 सितंबर, 2025 को आयोजित अपनी 51वीं बोर्ड सभा में , कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378I के अनुसार आवश्यक बहुमत से, कंपनी के अंतर्नियम के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के अंतर्नियम के नियमों में संशोधन के लिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक होगा। इसलिए, विशेष प्रस्ताव में विस्तृत प्रस्तावित परिवर्तनों को कंपनी के अंतर्नियम के नियमों के कुछ मौजूदा प्रावधानों में संशोधन/परिवर्तन के लिए बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया जाता है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु संलग्न नोटिस की मद संख्या 13 में दिए गए विशेष प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं।

एजेंडा क्रमांक 14

एनडीडीबी (NDDB) द्वारा एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDS) के माध्यम से एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित या भविष्य में प्रवर्तित किए जाने वाले दुग्ध उत्पादक संगठनों की एक शीर्ष बहु-राज्य सहकारी समिति के गठन में सहायता कर रही है। उक्त शीर्ष सहकारी समिति बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत होगी। इस समिति का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन, अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण और विपणन में सहायता प्रदान करके, डेयरी क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों का विस्तार करके, और सरकारी निकायों के साथ सहयोग तथा सहकारी सिद्धांतों के पालन के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करके अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। चूँकि मालव एमपीओ के उद्देश्य और गतिविधियाँ इस शीर्ष सहकारी समिति के व्यापक लक्ष्यों और दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, विशेष रूप से सहकारी और पारस्परिक सहायता सिद्धांतों को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और भारत में डेयरी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने में। इसलिए, यह प्रस्ताव है कि मालव एमपीओ, सामान्य आरक्षित निधि के 30% तक की

सीमा तक बहु-राज्य सहकारी समिति के शेयरों की सदस्यता लेकर उक्त शीर्ष सहकारी समिति का सदस्य बने और एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति का सदस्य बने।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनका कोई भी रिश्तेदार किसी भी तरह से इस समाधान में रुचि या सरोकार नहीं रखता है।

निदेशक मंडल सदस्यों के अनुमोदन हेतु संलग्न नोटिस की मद संख्या 14 में दिए गए विशेष प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

दिनांक: 08.09.2025
स्थान: ब्यावरा

रविन्द्र सिंह
मुख्य कार्यकारी और निदेशक

वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए बजट

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड				
राजस्व बजट				
क्र.सं.	**विवरण**	**माप की इकाई (UoM)**	**बजट FY 24-25**	**प्रस्तावित बजट FY 25-26**
(I)	दूध संग्रहण मात्रा	(KGPD)	89,562	93,071
(II)	दूध परिचालन से राजस्व	(₹ लाख में)	18,522.00	21,391.94
(III)	उत्पादक मूल्य	(₹ लाख में)	16,121.31	18,907.03
(IV)	सहायक मार्जिन	(₹ लाख में)	391.58	385.70
(V)	लॉजिस्टिक लागत	(₹ लाख में)	1,211.30	1,172.16
(VI)	अन्य दूध संग्रहण लागत	(₹ लाख में)	517.50	616.75
(VII)	स्थायी लागत	(₹ लाख में)	328.33	388.57
(VIII)	**अनुदान सहायता से पूर्व दूध परिचालन से लाभ/(हानि)**	**(₹ लाख में)**	**(48.02)**	**(78.27)**
(IX)	अनुदान सहायता – दूध परिचालन	(₹ लाख में)	-	-
(X)	**अनुदान सहायता के बाद दूध परिचालन से लाभ/(हानि)**	**(₹ लाख में)**	**(48.02)**	**(78.27)**
(XI)	पीईएस गतिविधियों के लिए राजस्व व्यय	(₹ लाख में)	13.41	(7.80)
(XII)	(घाटा) – पीईएस परिचालन	(₹ लाख में)	(13.41)	7.80
(XIII)	अनुदान सहायता – पीईएस परिचालन	(₹ लाख में)	-	-
(XIV)	पीईएस परिचालन से लाभ/(हानि)	(₹ लाख में)	(13.41)	7.80
(XV)	अन्य आय	(₹ लाख में)	132.72	103.04
(XVI)	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**	**(₹ लाख में)**	**71.29**	**32.57**

पूंजीगत बजट				
क्र.सं.	**विवरण**	**माप की इकाई (UoM)**	**बजट FY 24-25**	**प्रस्तावित बजट FY 25-26**
A	**दूध परिचालन**			
(I)	एमपीपी स्थापना लागत	(₹ लाख में)	-	3.50
(II)	कैन्स	(₹ लाख में)	-	64.00
(III)	BMC	(₹ लाख में)	-	-
(IV)	आईसीटी	(₹ लाख में)	12.84	69.65
(V)	डीपीएमसीयू	(₹ लाख में)	9.48	150.90
(VI)	बीएमसी सहायक उपकरण	(₹ लाख में)	-	78.85
(VII)	एएमसीयू	(₹ लाख में)	-	2.00
(VIII)	ईटीपी	(₹ लाख में)	-	12.00
(IX)	एचओ सेटअप	(₹ लाख में)	-	5.10
(X)	एमसीसी-लैब सेटअप लागत	(₹ लाख में)	-	2.00
(XI)	**पूंजीगत व्यय - दुग्ध परिचालन**	(₹ लाख में)	-	-
(XII)	पूंजीगत अनुदान सहायता – दुग्ध परिचालन	(₹ लाख में)	**22.31**	**388.00**
(XIII)	**पूंजीगत व्यय - सोयाबीन क्रय**		-	-
(XIV)	**स्वयं के कोष से पूंजीगत व्यय**	(₹ लाख में)	**22.31**	**388.00**
B	**पीईएस परिचालन**			
(I)	कंटेनर	(₹ लाख में)	-	-
(II)	हैंडहेल्ड डिवाइस/टैबलेट	(₹ लाख में)	-	-
	पूंजीगत व्यय - पीईएस परिचालन	(₹ लाख में)	-	-
(III)	पूंजीगत अनुदान सहायता – पीईएस परिचालन	(₹ लाख में)	-	-
	स्वयं के कोष से पूंजीगत व्यय	(₹ लाख में)		
I	कुल पूंजीगत व्यय	(₹ लाख में)	**22.31**	388.00
II	कुल पूंजीगत अनुदान	(₹ लाख में)	-	-
III	**स्वयं के कोष से पूंजीगत व्यय**	(₹ लाख में)	**22.31**	**388.00**

8वीं वार्षिक आम सभा के कार्यवृत्त

8वीं वार्षिक आम सभा का कार्यवृत्त, शुक्रवार 20 सितंबर, 2024 को ला ओम पैलेस, ब्यावरा, राजगढ़, मध्य प्रदेश-465674 में दोपहर 12:00 बजे शुरू हुआ और दोपहर 01:00 बजे समाप्त हुआ।

उपस्थित:

1. श्रीमती रामश्री शर्मा : अध्यक्ष एवं शेयरधारक
2. श्रीमती टीना यादव : निदेशक एवं शेयरधारक
3. श्रीमती नीलम नागर : निदेशक एवं शेयरधारक
4. श्रीमती गायत्री : निदेशक एवं शेयरधारक
5. श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा : निदेशक और शेयरधारक
6. श्रीमती बबीता परमार : निदेशक और शेयरधारक
7. श्रीमती रीना डांगी : निदेशक और शेयरधारक
8. श्रीमती ममता बाई : निदेशक एवं शेयरधारक
9. श्रीमती मीना राजपूत : अतिरिक्त निदेशक एवं शेयरधारक
10. श्रीमती ममता लोधी : अतिरिक्त निदेशक एवं शेयरधारक
11. श्रीमती अबधेश यादव : अतिरिक्त निदेशक एवं शेयरधारक
12. श्री बसंत चौधरी : विशेषज्ञ निदेशक
13. श्री रविन्द्र सिंह : मुख्य कार्यकारी & निदेशक

हाजिरी में:

1. श्रीमती वैष्णवी शर्मा: कंपनी सचिव

A. श्रीमती रामश्री शर्मा ने अध्यक्षता की और कंपनी सचिव से सभा शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने को कहा।

B. इसके बाद, कंपनी सचिव श्री वैष्णवी शर्मा ने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 19 सदस्य थे, जिनके पास 1128 शेयर थे। 6759 शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे और 6759 शेयरधारक प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे, जिनके पास 1,67,966 शेयर थे। कुल 6778 सदस्य उपस्थित थे, जिनके पास 1,69,094 शेयर थे। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (9) के साथ पठित एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम ने एक वैध कोरम का गठन किया है।

C. अनुरोध पर, बोर्ड ने कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक श्री आलोक कुमार गुप्ता को अनुपस्थिति की छुट्टी प्रदान की।

D. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से जानकारी प्राप्त करने के बाद घोषणा की कि कोरम पूरा हो गया है।

E. कंपनी सचिव ने बताया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य सांविधिक रजिस्टर उपलब्ध हैं और निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की लेखा परीक्षक रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी योग्य नहीं थी, इसलिए लेखा परीक्षक रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

F. कंपनी की आठवीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। इसके बाद, अध्यक्ष ने कंपनी के मूल्य, मिशन और विजन को पढ़कर सभा की कार्यवाही शुरू की।

G. 8वीं वार्षिक आम सभा बुलाने संबंधी नोटिस, जो पहले ही सदस्यों को वितरित किया जा चुका था, पढ़ा हुआ मान लिया गया।

H. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने भाषण में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में सभा को जानकारी दी।

I. इसके बाद, अध्यक्ष की सलाह पर, कंपनी सचिव श्रीमती वैष्णवी शर्मा ने सभा के एजेंडे पर काम शुरू किया।

सभा में निम्नलिखित कार्य संपन्न हुए:

1. **31 मार्च 2024 तक की बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि खाते को उसके भाग के रूप में अनुसूचियों और नोट्स तथा निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों सहित प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:**

   श्रीमती भगवती बाई दांगी (फोलियो संख्या: 0008512) ने एक साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:
   <u>संकल्प संख्या 1/8 वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25</u>

   "**यह संकल्प लिया गया कि 31** मार्च 2024 तक लेखापरीक्षित बैलेंस शीट , उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही अनुसूचियां और नोट्स जो उसका एक हिस्सा हैं और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कंपनी के, एतद्द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।"

   श्रीमती अनीता (फोलियो संख्या: 0012216) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।
   अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद उसे सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

2. **कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित पारित करना साधारण संकल्प.**

श्रीमती कृष्णा बाई (फोलियो संख्या: 0008472) ने एक साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

संकल्प संख्या 2/8 वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

"**संकल्प लिया गया कि** समाप्त वर्ष के चालू लाभ में से ₹ 8 प्रति इक्विटी शेयर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित प्रतिफल (लाभांश) 31 मार्च 2024 को, 100 रुपये प्रति शेयर के 2,95,648 इक्विटी शेयरों पर पूर्णतः चुकता और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 23,65,184 रुपये को अवशोषित करने के लिए स्वीकृत और पुष्टि की जाती है, और यह उन इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2024 तक सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई दिए।"

श्रीमती मोसम बाई (फोलियो संख्या: 0005598) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।
अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद उसे सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

3. **श्रीमती ममता लोधी को निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना।**

श्रीमती ब्रज कुँवर (फोलियो संख्या: 0005640) ने एक साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

संकल्प संख्या 3/8 वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

"**यह संकल्प लिया** , श्रीमती ममता लोधी (DIN) 10725368), जिन्हें 30 जुलाई, 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की तारीख तक पद धारण करते हैं, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यकाल अवधि चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

श्रीमती अनीता बाई शर्मा (फोलियो संख्या: 0011471) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।
अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद उसे सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

4. **श्रीमती मीना राजपूत को निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना।**

श्रीमती निर्मला बाई चंद्रवंशी (फोलियो संख्या: 0013876) ने एक साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

संकल्प संख्या 4/8 वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

"**संकल्प लिया गया कि** , श्रीमती मीना राजपूत (DIN) 10720146), जिन्हें 25 जुलाई, 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की

तारीख तक पद धारण करते हैं , को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यकाल अवधि चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

श्रीमती गुलाब बाई (फोलियो संख्या: 0006886) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।
अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद उसे सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

5. **श्रीमती अबधेश यादव को निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करना।**

श्रीमती संगीता बाई (फोलियो संख्या: 0010095) ने एक साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

संकल्प संख्या 5/8 वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

"**यह संकल्प लिया** , श्रीमती अबधेश यादव (DIN) 10720165), जिन्हें 25 जुलाई, 2024 से कंपनी के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की तारीख तक पद धारण करते हैं, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यकाल अवधि चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

श्रीमती इंद्रा बाई (फोलियो संख्या: 0009404) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।
अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद उसे सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

6. **निदेशक श्रीमती टीना यादव (DIN 08664281) पर विचार करने और उन्हें पुनः नियुक्त करने के लिए , जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती हैं: -**

श्रीमती रमेश बाई (फोलियो संख्या: 0011000) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

संकल्प संख्या 6/8 वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

"**संकल्प लिया गया कि** कंपनी की निदेशक श्रीमती टीना यादव (DIN 08664281), जो कंपनी की इस वार्षिक आम सभा में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं, को कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाता है और वे चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगी।"

श्रीमती विनीता बाई (फोलियो संख्या: 0006251) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।
अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद उसे सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

7. **निदेशक श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा (DIN 08880271) पर विचार करने और उन्हें पुनः नियुक्त करने के लिए, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं, इस संबंध में पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करती हैं, निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित किया जाता है: -**

श्रीमती गीता लोधी (फोलियो संख्या: 0021217) निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया गया:

संकल्प संख्या 7/8 वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

"**संकल्प लिया गया कि** कंपनी की निदेशक श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा (DIN 08880271), जो कंपनी की इस वार्षिक आम सभा में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, तथा वे चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगी।"

श्रीमती निर्मला बाई (फोलियो संख्या: 0014599) ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।
अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद उसे सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

8. **वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कंपनी के अंतरिम बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने के लिए निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित किया गया।**

श्रीमती सीता बाई लोधा (फोलियो संख्या: 0026535) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

संकल्प संख्या 8/8 वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

"**संकल्प लिया गया कि** 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट , जैसा कि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती दयाल कुँवर (फ़ोलियो नंबर: 0004146) उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।
अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद उसे सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

9. **एनडीडीबी डेयरी सेवाओं के साथ सेकंडमेंट समझौते पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना**

श्रीमती राम कुँवर बाई (फोलियो संख्या: 0009166) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

संकल्प संख्या 9/8 वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

"**संकल्प लिया गया** कि कंपनी के ज्ञापन एवं नियमावली के अनुच्छेद के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों / वैधानिक प्रावधानों, यदि

कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकंडमेंट व्यवस्था / समझौते में प्रवेश करने और सेकंडमेंट व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादित लेनदेन के अनुसमर्थन के लिए कंपनी को दिया जाता है और सेकंडमेंट व्यवस्था के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ लेनदेन / अनुबंध / व्यवस्था / समझौते में प्रवेश करने और / या जारी रखने के लिए कंपनी को अनुमोदन दिया जाता है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा इस व्यवस्था/समझौते को समाप्त करने के लिए आम सभा में सदस्यों की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए जब भी आवश्यक हो, एनडीएस के साथ आवश्यक समझौते/अनुबंध पर हस्ताक्षर/निष्पादन करने के लिए किसी भी निदेशक को शक्ति सौंपने सहित सभी कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

श्रीमती कोशल्या बाई (फ़ोलियो नंबर: 0012609) उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।
अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद उसे सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

10. एनडीडीबी डेयरी सेवाओं ('एनडीएस') को दूध की आपूर्ति पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

श्रीमती कौशल्या बाई (फोलियो संख्या: 0012761) ने एक साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:

संकल्प संख्या 10/8 वीं वार्षिक आम सभा: 20.09.2024/2024-25

"**संकल्प लिया गया कि** कंपनी के ज्ञापन एवं नियमावली के अनुच्छेद के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय XXIA के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों / वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, वर्तमान में लागू) के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ दूध की आपूर्ति के लिए लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/समझौते के लिए 01 अप्रैल 2024 को एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ किए गए आपूर्ति समझौते को दिया जाता है , जिसमें कोई भी संशोधन, परिवर्तन और विस्तार शामिल है ;

"**इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि** कंपनी के निदेशक मंडल को सभी कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसमें इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए जब भी आवश्यक हो, एनडीएस के साथ आवश्यक समझौते/अनुबंध पर हस्ताक्षर/निष्पादन करने के लिए किसी भी निदेशक को शक्ति का प्रत्यायोजन शामिल है।"

श्रीमती मीना (फोलियो संख्या: 0012735) उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

अध्यक्ष ने हाथ उठाकर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा और मतदान समाप्त होने के बाद उसे सर्वसम्मति से पारित घोषित कर दिया।

11. सभा में कोई अन्य कार्य न होने के कारण, अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा समाप्त हुई।

दिनांक:15.10.2024 **अध्यक्ष**

स्थान: ब्यावरा

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01114MP2017PTC043970

पंजीकृत कार्यालय: ओल्ड एबी रोड, तलवाडा, चंपापुरा, ब्यावरा, राजगढ़, एमपी-465674

ईमेल: info@maalavmilk.com

उपस्थिति पर्ची

फोलियो संख्या: …………………………

सदस्य कोड:

सोमवार, 29 सितंबर , 2025 को आयोजित मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 9वीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हूँ।

शेयरधारकों का नाम …………………………………………………………………………….

प्रॉक्सी का नाम …………………………………………………………………. (प्रॉक्सी के सभा में भाग लेने की स्थिति में)

शेयरधारक/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर*

*जो लागू न हो उसे काट दें

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
CIN: U01114MP2017PTC043970
पंजीकृत कार्यालय: ओल्ड एबी रोड, तलवाड़ा, चंपापुरा, ब्यावरा, राजगढ़, एमपी-465674
ईमेल: info@maalavmilk.com

फॉर्म संख्या MGT-11

छद्म प्रारूप

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सदस्य का नाम	
पता	
ईमेल आईडी	
फोलियो नं.	

मैं ……………………………………………………………………उपर्युक्त कंपनी के .... शेयरों की सदस्य होने के नाते, एतद्द्वारा नियुक्त करती हूँ

1. नाम:…………………………. ; ईमेल आईडी: ……………………… ;हस्ताक्षर: ………………

या उसके असफल होने पर

2. नाम:…………………………. ; ईमेल आईडी: ……………………… ;हस्ताक्षर: ………………

कंपनी की 9वीं वार्षिक आम सभा में मेरे और मेरी ओर से उपस्थित होने और वोट देने के लिए मेरे प्रॉक्सी के रूप में, जो सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 12:00 बजे होटल ला ओम पैलेस, ब्यावरा, राजगढ़ मध्य प्रदेश-465674 में आयोजित की जाएगी और नीचे दिए गए प्रस्तावों के संबंध में उसके किसी स्थगन पर:

क्र. सं.	**संकल्प**	**मतदान**		
		पक्ष	**ख़िलाफ़**	**तटस्थ**
1	31 मार्च 2025 तक की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, साथ ही उसके भाग के रूप में अनुसूचियां और नोट्स तथा उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प को अपनाना।			
2	वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प को अपनाना।			
3	श्रीमती रामश्री शर्मा (DIN: 07893820) की सेवानिवृत्ति पर विचार करने के लिए, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प को अपनाया जाना है।			
4	श्रीमती नीलम नागर (DIN: 08806718) की सेवानिवृत्ति पर विचार करने के लिए, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और			

	पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प को अपनाने के लिए।			
5	श्रीमती रीना दांगी (DIN: 09705962) की सेवानिवृत्ति पर विचार करने के लिए, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रही हैं और इस संबंध में पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं, निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने के लिए।			
6	कंपनी के निदेशक के रूप में श्रीमती पूजा गोस्वामी (DIN: 11295000) की नियुक्ति पर विचार करना।			
7	कंपनी के निदेशक के रूप में श्रीमती पूनम यादव (DIN: 11295198) की नियुक्ति पर विचार करना।			
8	कंपनी के निदेशक के रूप में श्रीमती रेखा लोधा (DIN: 11294982) की नियुक्ति पर विचार करना।			
9	संरक्षण के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के मापदण्डों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना, इस संबंध में निम्नलिखित साधारण संकल्प को अपनाना।			
10	निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदन की जांच करने के लिए नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना।			
11	वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			
12	कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन में अल्टरेशन के द्वारा कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना			
13	कंपनी के अंतर्नियम के लेखों में परिवर्तनों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना तथा यदि उचित समझा जाए तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।			
14	एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली शीर्ष सहकारी समिति की शेयर पूंजी पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।			

.........सितंबर, 2025 के इस .... दिन पर हस्ताक्षर किए गए

Affix Rs.1. Revenue Stamp

शेयरधारक के हस्ताक्षर:

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर:

नोट: प्रॉक्सी फॉर्म को उक्त सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वापस पहुँचाया जाना चाहिए। प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक है।

मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
CIN: U01114MP2017PTC043970
पंजीकृत कार्यालय: ओल्ड एबी रोड, तलवाड़ा, चंपापुरा, ब्यावरा, राजगढ़, एमपी-465674
ईमेल: info@maalavmilk.com

पावती

फ़ोलियो संख्या									

मैं ________________ निवासी ___________________ मालव महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सदस्य हूँ। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे कंपनी की 9वीं वार्षिक आम सभा की सूचना उसके सभी अनुलग्नकों सहित प्राप्त हो गई है।

सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

दिनांक:

स्थान: